

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक
प्रति,

एफ 3-35/2013/38-1

नया रायपुर, दिनांक /07/2013

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर।

विषय :-

महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना (जनभागीदारी) अंतर्गत नये विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति बाबत।

संदर्भ :-

आपकी टीप कमांक 67/आउशि/योजना/13, रायपुर दिनांक 03.07.2013

राज्य शासन एतद् द्वारा महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य सामग्री तथा स्टॉफ उपलब्धता आदि के आधार पर निम्नांकित शासकीय महाविद्यालयों में विषय/संकाय में कक्षावार सीट वृद्धि की अनुमति दी जाती है :-

क	महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय	वृद्धि की गई सीट संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	शासकीय महाविद्यालय भखारा, जिला-धमतरी।	1. पीजीडीसीए 2. डीसीए	40 सीट 40 सीट	
2	शासकीय नेहरू स्नातको महावि. डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव	Certificate Course in English Translation	25 सीट	
3	शासकीय महाविद्यालय पिथौरा जिला-महासमुंद	1. स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय गणित एवं बायो 2. डी0सी0ए0 3. पी0जी0डी0सी0ए0 4. एम0ए0 हिन्दी साहित्य	60 60 60 60	
4	शासकीय नवीन महावि. जैजैपुर।	1. एम0ए0 पूर्व हिन्दी	30	
5	पं० रेवतीरमण मिश्र शास. अग्रणी महावि. सूरजपुर जिला-सूरजपुर, छ0ग0।	1. डी0सी0ए0 2. डी0सी0ए0 3. पी0जी0डी0सी0ए0 4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन	60 40 50 50	

//2//

क	महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय	वृद्धि की गई सीट संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
6	शास. रा0भ0रा0एन0ई0एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय जशपुरनगर, जिला-जशपुर।	एस0एस0सी0 प्राणीशास्त्र	30	
7	शास. नेमीचंद जैन कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महावि. दल्लीराजहरा, जिला-वालोद, छ0ग0।	एम0ए0 राजनीति शास्त्र	30	

शर्तें :-

- 1 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
- 2 फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोंतो से वहन करना पडेगा।
- 3 भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
- 4 यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव जुलाई 2013 से प्रमावशील रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Sd/-
(एस0क0चौधरी)

उप सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 23/07/2013

3544
पृ0 क्रमांक एफ 3-35/2013/38-1
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ0ग0।
- 2 निज सहायक, सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 3 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर, छ0ग0।
- 4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 5 संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय छ0ग0
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 6 आदेश फोल्डर।

Sd/-
उप सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 3-56/2015/38-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/08/2017

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करने बाबत।

संदर्भ :- आपकी टीप कमांक 52/आउशि/योजना नवीन विषय/2017, दिनांक 19.05.2017

राज्य शासन, एतद् द्वारा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्यावार स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन कक्षाएँ/विषयों को निम्नलिखित तालिका में दर्शित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित कक्षाएँ/विषय प्रारंभ करने की अनुमति के साथ-साथ स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

मांग संख्या - 44 ✓

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	2	3	4	5
1	शासकीय महाविद्यालय भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.)	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	01	25
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
2	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातको. महावि. कुरुद जिला धमतरी	एम.एस.सी. बायोटेक्नालॉजी	01	30
3	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर	एम.ए.अंग्रेजी	01	30
4	शासकीय जे.यो.छत्तीसगढ़ पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	30
		एम.एस.सी. मानव विज्ञान	01	20
		एम.एस.सी. भौतिकशास्त्र	01	20
5	शासकीय महाविद्यालय खुसीपार, मिलाई, जिला-दुर्ग	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30
		एम.कॉम	01	25
		एम.एस.सी. गणित	01	20
6	शासकीय केएमटी. कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़	एम.ए. मनोविज्ञान	01	20

7	शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	20
8	शासकीय रामानुजप्रताप सिंहदेव पी.जी. महाविद्यालय वैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
9	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	01	20
10	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद	एम.ए. अंग्रेजी	01	30
11	शास. नवीन महावि. बोरी जिला दुर्ग	एम.कॉम.	01	30
12	शासकीय स्व. चन्दुलाल चंद्राकर महाविद्यालय पाटन, जिला दुर्ग	एम.एस.सी. गणित	01	25
13	शासकीय महाविद्यालय, अरंग जिला रायपुर	एम.ए. अर्थशास्त्र	01	30
14	शासकीय महाविद्यालय देवमोग, जिला गरियाबंद	एम.ए. हिन्दी	01	30
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
15	शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया जिला कबीरधाम	एम.कॉम	01	25
15	शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़, जिला रायगढ़	एम.ए. हिन्दी साहित्य	01	30
		एम.एस.सी. रसायन	01	20

मांग संख्या - 41

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापको की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	शासकीय महाविद्यालय भानपुरी, जिला बस्तर	एम.ए. समाजशास्त्र	01	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	20
2	शासकीय महावि. बरपाली जिला कोरबा	एम.कॉम	01	20
3	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर, जिला राजनांदगांव	एम.ए. अंग्रेजी	01	30
		समाजशास्त्र	01	20
4	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय मोपालपदनम, जिला बीजापुर	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	25
5	शासकीय महाविद्यालय कुनकुरी, जिला जशपुर	एम.ए. भूगोल	01	25
6	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर	एम.ए. हिन्दी	01	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	20


मांग संख्या - 64

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापको की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला बलौदाबाजार	एम.ए. हिन्दी	01	30

2	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर (सेतगंगा), जिला-मुंगेली	एम.ए. अंग्रेजी	01	30
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा	एम.ए. अंग्रेजी	01	25
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30

1. उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जबाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को "ई मेल" से अथवा विशेष वाहक के हस्तै सूचित करेंगे।
2. जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मदद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2017-18 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।
3. स्वीकृति जारी होने में विलम्ब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि, संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/संकाय/पाठ्यक्रम को इसी सत्र 2017-18 से प्रारंभ किया जाए तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये दिनांक 06-09-2017 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।
4. प्रत्येक महाविद्यालय के नाम के समक्ष दिये गये विषय में कॉलम संख्या 5 में दी गई संख्या प्रवेश हेतु निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक /08/2017

क्रमांक एफ 3-56/2017/38-1
प्रतिलिपि :-

- 1 निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 2 मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 3 अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
- 4 संबंधित कलेक्टर जिला.....
- 5 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 6 क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर, छ.ग.,
- 7 संबंधित प्राचार्य.....छ.ग.
- 8 कुल सचिव, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर/दुर्ग/पं. रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय छ0ग0,
की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
- 9 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
गहानदी नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 07 SEP 2016
/09/2016

कमलेश्वर सिंह, रायपुर-1
प्रति,

रायपुर, 07/09/2016
रायपुर, दिनांक 07/09/2016
विषय - रायपुर नगरपालिका, रायपुर नया रायपुर।
रायपुर नगरपालिका वर्ष 2016-17 में रायपुर नगरपालिका शासकीय स्नातक महाविद्यालयों के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किये जाने के संबंध में।

एतद् द्वारा, वर्ष 2016-17 में मांग संख्या 41 एवं 44 में 14 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद को स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर प्राध्यापकों के एक वर्ष तकनीशियन के 06 पद एवं प्रोफेसर के 02 पदों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। विवरण निम्नलिखित अनुसार है:-
2/ 14 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर प्राध्यापकों के एक वर्ष तकनीशियन के 06 पद एवं प्रोफेसर के 02 पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र.	विवरण	ग्रेड/वेतन	पद संख्या
1	प्राध्यापक (कनिष्ठ)	10000 वि.वे. 3000	02
2	प्राध्यापक (सहायक)	9000	01
	कुल		03

नहाविद्यालयों के स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद की स्थिति निम्नलिखित है:-

क्र.	नहाविद्यालय का नाम	सृजित पद प्राध्यापक	
		विषय	संख्या
1	रायपुर नहाविद्यालय, रायपुर-बलरामपुर	-	-
2	रायपुर नहाविद्यालय, बीजापुर	हिन्दी	1
			01

उक्त पदों का भ्रम मांग संख्या 41 एवं 44 में जनजाति उपयोगना-2202-सामान्य शिक्षा-(103)-सरकारी एवं उच्च शिक्षा-3202-जनजाति उपयोगना-(103)-सरकारी कालेज और संस्कृत, उर्दू, हिन्दी एवं वाणिज्य विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति उपयोगना मद अंतर्गत विकलनार्थ है।

निरन्तर....



क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर प्राचार्य	सृजित पद			
			प्राध्यापक		प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
			विषय	संख्या		
8	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र महाविद्यालय गुंगेली, जिला-मुंगेली	1	भौतिकशास्त्र	1	3	3
			प्राणीशास्त्र,	1		
			पनस्पतिशास्त्र	1		
			रसायनशास्त्र	1		
9	शासकीय शहीद यापूराय महाविद्यालय सुकमा, जिला-सुकमा	1	हिन्दी	1	-	-
			अंग्रेजी	1		
			अर्थशास्त्र	1		
10	शासकीय धीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द	1	भूगोल	1	1	1
			राजनीतिशास्त्र	1	-	-
11	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सुरजपुर, जिला-सूरजपुर	1	अर्थशास्त्र,	1		
			समाजशास्त्र	1		
			वाणिज्य	1		
12	शासकीय गुंडाधूर महाविद्यालय, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव	1	भूगोल	1	1	1
			राजनीतिशास्त्र	1	-	-
योग :-		12		28	06	06

उक्त पदों पर व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0101-राज्य आयोजना सामान्य-(103)-सरकारी कालेज और संस्थाएं-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने, अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई-मेल से अथवा विशेष याहक के हस्तों सूचित करेंगे।

5/ जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2016-17 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जाएगा तथा जनभागीदारी/स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बंद किया जायेगा।

6/ स्वीकृति जारी होने में विलंब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/संकाय/पाठ्यक्रम को इसी सत्र 2016-17 से प्रारंभ किया जावे तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 15.09.2016 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।

7/ प्रत्येक विषय में 25 सीट संख्या निर्धारित की जाती है।



निरंतर.....

//4//

विभागीय सेटअप अंतर्गत उपरोक्त 14 स्नातक प्राचार्य पद का उन्नयन स्नातकोत्तर प्राचार्य पद में के कारण विभागीय सेटअप में 14 स्नातक प्राचार्य के पद स्वयमेव कम हो जाएंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क. 12016.38.00820/B-3/चार, दिनांक 27/7/2016 दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

शेक एफ 3-11/16/38-1

रायपुर, दिनांक 07/08/2016

कॉलेजि :-

1. नान राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ.ग.
 2. नान मुख्यमन्त्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
 3. विशेष सहायक, मान.मन्त्रीजी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
 4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
 5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
 6. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
 7. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
 8. संभाग आयुक्त, संभाग, छ.ग.
 9. संबंधित जिला कलेक्टर, जिला छ.ग.
 10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
 11. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, दिलासपुर, छ.ग.
 12. कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय छ.ग.
 13. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला छ.ग.
 14. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जिला छ.ग.
- की ओर सूचनार्थ अग्रपिप्त।
15. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग